आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि 20.09.2016 को समय सांय 04.30 बजे मय टीम के मैसर्स फलौदी मेडिकल स्टोर बस स्टेण्ड झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज0) पर निरीक्षण के लिये पहुंचा। वहा पर श्री जगदीश गुप्ता पुत्र श्री कन्हैयालाल विक्रेता फूड सप्लीमेन्ट Prokey Powder के विक्रय का कार्य कर रहे थे, वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/खाद्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत नही किया। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु Prokey Powder बेचान हेतु रखी गई थी जो वास्ते नमूना जांच हेतु 200 ग्राम की 4 मूल पैक खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रु 564/– नगद देकर वास्तें नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विकेता, गवाह ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Prokey Powder के मूल पैक पर लेबल चिपकाये और लेबलो पर खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी–753 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी–753 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ने किये। फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर श्री जगदीश प्रसाद मीणा, च. श्रे.क. कार्यालय हाजा के द्वारा खाद्य विशलेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/309–12 दिनांक 22.12.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 248/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2016/440 दिनांक 14.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Prokey Powder मिसब्राण्डेड होना पाया गया जांच रिपोर्ट इस्तगासे के साथ संलग्न है। जिसकी सूचना अधिनियम की धारा 46 (4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा मय जांच रिपोर्ट की प्रति के जगदीश गुप्ता को भिजवाई गई जिसके विरूद्ध अपील प्राप्त नही हुई है।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन मे यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड द्वारा अपने पत्र कमांक 351 दिनांक 10.08.17 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त केस में गैर सायलान द्वारा खाद्य पदार्थ Prokey Powder मिसब्रान्डेड का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में वर्णित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायल नं0 1 व 2 द्वारा अपनी मौखिक बहस में अनुरोध किया गया कि हमारे द्वारा उक्त Prokey Powder गैर सायल नं0 3 से कय कर विकय किया गया था जो पेक था प्रकरण में हमें बरी किया जावे । गैर सायल नं0 3 लगायत 7 की ओर से वकील श्री श्याम सुन्दर शर्मा II द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाब

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

भवानीसिंह पालावत आर०ए०एस

पीठासीन अधिकारी

दायरा 03.10.2017

प्रकरण सख्याः—53/17

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड़

प्रार्थी.....................

बनाम

1. जगदीश गुप्ता पुत्र श्री कन्हैयालाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्स फलौदी मेडिकल स्टोर बस स्टेण्ड झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज0)
2. संजय पुत्र श्री रमेशचन्द, प्रोपराइटर मैसर्स सजंय मेडिकल स्टोर, बड़ा बाजार झालावाड़

3- Shilpi Bhargaw W/o Parag Bhargaw, Proprietor M/s Zonis Pharmaceuticals Plot No. 17, Nandpuri Extension, Hawa Sarak, Jaipur (Rajasthan)

4- Ashok Goyal S/o Maya Ram Goyal, Director M/s Newtramax Healthcare, Nahan Road Pounta Sahib District Sirmour (Himachanl Pradesh)

5- Arun Goyal S/o Gian chand Goyal, , Director M/s Newtramax Healthcare, Nahan Road Pounta Sahib District Sirmour (Himachanl Pradesh)

6- Narendra Pal Singh S/o Onkar Singh, , Director M/s Newtramax Healthcare, Nahan Road Pounta Sahib District Sirmour (Himachanl Pradesh)

7- Ajay Goyal S/o Maya Ram Goyal, , Director M/s Newtramax Healthcare, Nahan Road Pounta Sahib District Sirmour (Himachanl Pradesh)

गैर सायलान.......

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)/52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित— 1— पेरोकार सरकार
2—श्री श्याम सुन्दर शर्मा II वकील गैर सायल नं0 3 से 7
गैर सायल नं 1 व 2

आदेश

दिनांकः— 29.01.2018

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक /एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हू। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधि0 झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिलें के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त Prokey Powder खाद्य पदार्थ की श्रेणी में नही आता है यह एक औषधी है खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गलत प्रकरण फाईल किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रकरण खारिज किया जाकर गैर सायलान को बरी किया जावे।
की ओर से वकील श्री विवेक सक्सेना द्वारा वकालत नाम प्रस्तुत कर जवाब पेश किया गया गैर सायल नं0 आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे सलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकृषित करते हुऐ कथन किया कि खाद्य पदार्थ Prokey Powder मिसब्रान्डेड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायलान से खाद्य पदार्थ Prokey Powder मिसब्रान्डेड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से संबंधित दस्तोजन भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायलान द्वारा खाद्य पदार्थ Prokey Powder मिसब्रान्डेड का विक्रय किया गया है।

हमने बहस को सुना व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया वकील गैर सायलान नं0 3 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब पर भी गौर किया गया। वकील गैर सायलान द्वारा अपने जवाब के साथ निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज0 जयपुर के आदेश दिनांक 19.01.17 की प्रति प्रस्तुत की है। परन्तु उक्त खाद्य पदार्थ का सेम्पल दिनांक 20.09.17 को लिया गया था, जो फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट दिनांक 440 दिनांक 14.12.2016 के अनुसार **misbaranded food under section 3(1)(zf)(b) (ii)(c)(i) of the food safety & standard act 2006** की स्पष्ट अवहेलना है जिसकी की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजी साक्ष्यो से होती है। गैर सायलान द्वारा खाद्य पदार्थ Prokey Powder मिसब्रान्डेड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित होता है। गैर सायलान का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 मे उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मददेनजर रखते हुऐ इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल नं0 1. जगदीश गुप्ता 2. संजय 3. शिल्पी भार्गव प्रत्येक को 5000–5000 रूपये एवं गैर सायलान नं0 4 अशोक गोयल 5. अरूण गोयल 6. नरेन्द्र पाल सिंह 7. अजय गोयल (4 लगायत 7) को 10000/– रूपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.01.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावात)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)